संख्या- 19/187/30-3-15-42एम/2014

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 27 फरवरी, 2015

विषय - उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में "उच्चस्तरीय समिति" के सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में "सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ" के गठन हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-92(जी)सड़क सुरक्षा/2014-43स0सु0/2013, दिनॉक 29 अगस्त, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु प्रदेश सरकार के परिवहन एवं बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से दिनॉक 06-07-2013 को आयोजित कार्यशाला एवं उसमें लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में दिनॉक 05-09-2013 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित "उच्चस्तरीय समिति" के सचिवालय के रूप में सड़क सुरक्षा सेल के गठन हेतु निम्नलिखित 04 अस्थायी पदों को उनके सम्मुख उल्लिखित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से अथवा पदों के भरे जाने की तिथि से, जो भी बाद में हो, दिनॉक 28 फरवरी, 2015 तक की अवधि के लिए बशर्ते कि ये पद बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाएं, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विशेष कार्याधिकारी	03 (तीन)	सेवा स्थानान्तरण द्वारा	वेतन बैण्ड-3-15600-39100 ग्रेड वेतन 6600
2	लेखाकार	01 (एक)	सेवा स्थानान्तरण द्वारा	वेतन बैण्ड-2-9300-34800 ग्रेड वेतन 4200

2- उपर्युक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतन-भत्ते तथा अन्य भत्ते, जो भी नियमानुसार अनुमन्य हो, देय होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निम्नलिखित 08 अस्थायी पदों को दिनॉक 28.02.2015 तक की अवधि के लिये, बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, का सृजन इस शर्त के अधीन किया जाता है कि इन पदों पर नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन एवं उससे अनुबंध करके आउटसोर्स के माध्यम से सेवायें प्राप्त की जायेंगी :-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	02 (दो)	आउटसोर्सिंग द्वारा
2	लिपिक	04 (चार)	आउटसोर्सिंग द्वारा
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02 (दो)	आउटसोर्सिंग द्वारा
योग - 08 (आठ)			

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014, नियम-9 के खण्ड-(ग) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में उक्त नियमावली के नियम-4(3) में उल्लिखित "लेखाशीर्ष -3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-86/दस-12, दिनॉक 27 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-19/187/(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
3- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-9
4- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0, सचिवालय, लखनऊ।
5- कार्मिक अनुभाग-1
6- कार्मिक नियमावली सेल।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://srsanadesh.up.nic.in